# Form No. III

## Qnl&vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर)** मुकाम **चित्तौड़गढ**

**अखिल राजस्थान अहिंसा** बनाम **सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वगैराह**

**कार्यवाही अन्तर्गत :** **धारा 3 (जी) (5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956**

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील (NHAI)** नं0 **020** सन् **2019**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **26.08.2025** | पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी हाजिर नहीं। वकील प्रत्यर्थी हाजिर। वकील अपीलार्थी की आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। अपीलार्थी स्वयं हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। अपीलार्थी हाजिर नहीं। वकील अपीलार्थी पूर्व पेशी दिनांक 20.11.2024, 30.04.2025 एवं 05.08.2025 को हाजिर नहीं रहे। उक्त दिवस को न्यायहित में सुनवाई हेतु अवसर दिया गया है, किन्तु आज भी अधिवक्ता अपीलार्थी हाजिर नहीं। न्यायालय समय समाप्त होने से पूर्व पुनः आवाज लगवाई गई। वकील अपीलार्थी हाजिर नहीं। अपीलार्थी स्वयं हाजिर नहीं। अतः अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 3(जी)(05) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी का अभिलेख मय अहकाम की प्रति के लौटाया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>—ह0—<br>(आलोक रंजन)<br>जिला कलक्टर,<br>चित्तौड़गढ़<br>26.08.2025 | |